


107
12/22

पंजाबी पत्रा दुई। वकील पञ्जाबिया अड्डा पञ्जाबिया
 न्यायालय समय में तीन महीने का अवकाश युक्त
 पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। पंजाबी का
 अवलोकन कि पंजाबी वकील जहाँ द्वारा समय लक्ष्य
 पंजाबी अवकाश युक्त कि पंजाबी के उपस्थित भी
 पत्रा नहीं कि पंजाबी जा ही कारणों से अवकाश लक्ष्य
 गाना अतः न्यायालय आदेश ९ - कि पंजाबी ३ व ५ के
 अन्तर्गत २ व ३ के कारण उचित मामला है। पंजाबी
 पत्रा कि पंजाबी जा ही पंजाबी के अल २३ महीने का
 अवकाश युक्त है।


 उपखण्ड अधिकारी
 झालावाड़